भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3673
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरित

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधि

3673. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धन का पूरा उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित तीन वर्षों के दौरान योजना/राज्य/वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायती राज को आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधि बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/योजनावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पंचायती राज संस्थानों (PRI) को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान सिफारिशों के तहत सीधे धन आवंटित किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चालू वर्ष सहित तीन वर्षों में कुल 1,43,331 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 14.12.2024 तक 1,06,337.25 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) पुनर्निर्मित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) और पंचायतों के प्रोत्साहन (IoP) योजना को लागू कर रहा है। हालांकि, इन योजनाओं के तहत निधियों का पूर्व आवंटन नहीं किया जाता है। पुनर्निर्मित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर धन जारी किया जाता है। पंचायतों का प्रोत्साहन (आईओपी) की योजना के तहत, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता, जो सालाना आयोजित की जाती है, के बाद सेवाओं और जनकल्याण के लिए उनके अच्छे काम को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि जारी की जाती है। उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार सहायता अनुदान **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) राज्यों में आरजीएसए योजना के क्रियान्वयन, जिसमें निधियों का उपयोग भी शामिल है, की बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंस और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे जैसे विभिन्न माध्यमों से बारीकी से निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार अनुरोध किया जाता है कि वे उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आदि सहित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें और निधियों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, आरजीएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) वास्तविक समय की प्रशिक्षण गतिविधियों की निगरानी के लिए मौजूद है। योजना के तहत निधियों को जारी करने और उन पर नज़र रखने के लिए पीएफएमएस -आधारित लेनदेन शुरू किए गए हैं।

आईओपी योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता पंचायतों को जारी की गई पुरस्कार राशि के उपयोग की भी लिखित संचार, समीक्षा बैठकों, राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जाती है।

(घ) और (ङ) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा कार्यान्वित पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के विकास के लिए योजनाओं के तहत, निधियों का पूर्व आवंटन नहीं किया जाता है।

***

अनुबंध

दिनांक 17.12.2024 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3673 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

चालू वर्ष सहित तीन वर्षों में पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी और उपयोग किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सहायता अनुदान।

क्र. स.	राज्य	आरजीएसए						आईओपी					
		2022-23		2023-24		2024-25 (14.12.2024 तक)		2022-23		2023-24		2024-25 (14.12.2024 तक)	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	21.35	0	20.75	2.59	2.59	0	0	4.00	0
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.9	0.79	1.44	1	0.72	0.36	0.36	0.75	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	108.69	132.45	72.09	89.97	58.91	36.35	0.85	0.85	0	0	0	0
4	असम	55.29	95.15	77.7	91.41	44.33	43.18	1.59	1.59	0.50	0.50	2.25	0
5	बिहार	33.37	70.07	25	51.81	0	31.42	2.30	2.3	0	0	1.50	0
6	छत्तीसगढ़	0	29.52	17.57	22.25	15.5	4.57	1.69	1.69	1.00	1.00	0.50	0
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.14	4.5	1	0.43	0	0.67	0.35	0.35	2.00	2.00	0	0
8	गोवा	0	1.12	0.89	1	0.5	0.39	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	0	0.01	0	1.28	0	10.89	1.87	1.87	0	0	0	0
10	हरियाणा	0	3.06	0	8.84	0	5.6	0.58	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	60.65	37.49	19.31	69.3	27.21	32.9	1.44	1.44	0	0	2.50	0
12	जम्मू एवं कश्मीर	40	57.75	65	98.61	50	45.13	1.4	1.4	2.00	2.00	0	0
13	झारखंड	0	18.44	31	25.95	0	3.89	1.59	1.59	1.00	0	0	0

14	कर्नाटक	36	20.74	20	37.78	0	14.86	2.67	2.67	0	0	3.00	0
15	केरल	30.4	23.13	10	37.04	10	20.32	2.65	2.65	4.25	4.25	1.75	0
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0.05	0.03	0	0	0	0
17	लद्दाख	0	1.52	1	0.1049	0	0	0.43	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	28	145.17	32.17	74.16	40	39.77	2.72	0	0	0	0	0
19	महाराष्ट्र	37.84	129.03	116.12	194.26	60	62.49	2.71	2.71	3.50	0	0	0
20	मणिपुर	8.63	3.31	9.56	8.34	0	0.75	0.94	0	0	0	0	0
21	मेघालय	0	6.41	6	6.26	6	4.57	0.05	0	0	0	0	0
22	मिजोरम	14.27	25.48	10	15.64	10	8.81	0.30	0.3	1.50	1.50	0	0
23	नागालैंड	0	0	10	5.46	10	5.52	0	0	0	0	0	0
24	ओडिशा	11.4	24.83	27.33	44.22	9.32	28.43	2.89	2.89	10.50	10.50	8.50	0
25	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	पंजाब	34.25	42.91	10	23.06	0	8.15	1.68	1.68	0	0	0	0
27	राजस्थान	0	32.41	21.72	40.12	0	9.44	1.88	0	0	0	0	0
28	सिक्किम	6.01	4.98	6	7.9	5	1.74	0.86	0	0	0	0	0
29	तमिलनाडु	25.42	8.53	0	25.98	30	35.81	1.80	1.8	1.00	1.00	1.50	0
30	तेलंगाना	0	3.19	20	20.47	0	2.81	2.46	2.46	12.50	12.50	0.75	0
31	त्रिपुरा	9.8	3.76	7.43	10.96	5	9.41	1.40	1.40	1.50	1.50	10.00	0
32	उत्तर प्रदेश	85.05	96.33	84.13	158.95	17.77	107.88	3.83	3.83	1.75	0	0	0
33	उत्तराखंड	42.48	57.15	64.67	66.29	25	26.16	1.51	1.51	0	0	0	0
34	पश्चिम बंगाल	4.28	50.89	33.69	57.32	37.68	33.29	2.75	1.75	0	0	0	0
	कुल	**672.97**	**1130.23**	**800.17**	**1317.9549**	**463.22**	**656.67**	**50.19**	**41.71**	**43.75**	**36.75**	**36.25**	**0**

***